

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़आम मोहम्मद

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)नं० **328**सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी आम मोहम्मद पिता रफीक मोहम्मद आयु वयस्क निवासी बोटलगंज तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) की और से पुलिस थाना निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 503/2021 दिनांक 01.10.2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या <b>MP 14 GC 0246</b> को प्रार्थी वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, कोतवाली, निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/..... दिनांक 28.12.2021 से पत्र पृष्ठांकन कर निवेदन किया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र पृष्ठांकित होकर शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है, चूंकि वाहन बोलरो पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या <b>MP 14 GC 0246</b> की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः आठ लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">-S/D- (तारा चन्द मीणा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़</p>	

